न्यायालय जिला कलक्टर, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— जसमीत सिंह संधू, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 03/2024 अपील (राजस्व) जी.सी.एम.एस 2024/5

1. श्री नाथू पिता नंगा जी डांगी उम्र—वयस्क, निवासी— अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला सलूम्बर।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सराडा, जिला सलूम्बर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार जयसमन्द अन्तर्गत प्रकरण संख्या 259/2024 नाजायज कब्जा अन्तर्गत धारा 91 दिनांक 22.03.2024

निर्णय

दिनांकः—.24.05.2024

1— प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार जयमन्द के प्रकरण संख्या 259/2024 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 22.03.24 से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2— अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि, प्रार्थी गरीब काश्तकार है तथा मौजा अमरपुरा की हाल आराजी नम्बर 172, साबिक आराजी नम्बर 81 से बना है। साबिक आराजी नम्बर 81 प्रार्थी के पिता नंगा व उनके भाई गोता पिता खेमा को करीब 65 वर्ष पुर्व आवंटन हुई है व आंवटन के बाद लगातार इस पर काबिज चले आये है तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यू बाद प्रार्थी काबिज चला आ रहा है तथा इस भूमि पर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है व कृषि औजार खाद बीज आदि इसी में रखता है। इसके अलावा भी कथित निमार्ण मकान आदि प्रार्थी के नाम नियमन होने

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

योग्य भी है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय की आड में प्रार्थी को उक्त आराजी से जबरन बैदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

3— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलव की गई। विपक्षी जरिये तहसीलदार सराडा द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय (उप तहसीलदार जयसमन्द) का निर्णय न्याय और विधि अनुरूप सही है। चूकि उक्त भूमि राजकीय बिलानाम सरकार भूमि है। यह है कि मौजा अमरपुरा के आराजी नम्बर 172 रकबा 0.23 हेक्टेयर किस्म मगरी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2075–78 अनुसार खाता संख्या 01 बिलानम दर्ज है, जो राजकीय भूमि है, जिसमें से रकबा 0.20 हेक्टेयर पर अपीलाण्ट (नाथु पिता नंगा) का नाजायज कब्जा होने से बेदखली का आदेश जारी किया गया है जो विधि अनुरूप है। मौजा अमरपुरा के आराजी नम्बर 172 रकबा 0.23 हेक्टेयर के साबिक आराजी नम्बर 81 से बना है इस बिलानाम भूमि में से रकबा 0.20 हेक्टेयर पर अपीलाण्ट ने नाजायज कब्जा कर दुकान व मकान बना रखे है। अधिनस्थ न्यायालय को पटवारी हल्का अमरपुरा भू.अ. नि. पलोदडा द्वारा उक्त भूमि बिलानाम होने व इस पर अपीलाण्ट द्वारा नाजायज कब्जा करने से इनके विरूध कानुनी कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को दिनांक 15.01.2024 को इस संबध में कोई साक्ष्य सहित दिनांक 25.01.2024 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलाण्ट दिनांक 25.01.2024 को उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु समय चाहा, जिस पर इन्हे समय दिया जाकर दिनांक 05.02.2024 को आगामी पेशी नियत की गई। अपीलाण्ट दिनांक 05.02.2024 को अनुपस्थित रहा, लेकिन पक्का निर्माण होने के कारण कब्जा व निर्माण की जांच हेतु पटवारी हल्का अमरपुरा को अपीलाण्ट के साथ मौका रिपोर्ट कर आगामी पेशी दिनांक 05.03.2024 से पूर्व पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। नियत तिथि दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी (नाथुलाल

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

पिता नंगा डांगी) उपस्थित हुआ, लेकिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से अप्रार्थी को पुनः इस संबंध में कोई साक्ष्य हो तो अंतिम अवसर दिया गया तथा आगामी दिनांक 15.03.2024 रखी गई। जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर मौजूद है। लेकिन पेशी पश्चात पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी के रूबरू मौका जांच किया जिस पर अतिक्रमण होना पाया गया व कब्जा व निर्माण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त मौके पर्चे पर अप्रार्थी नाथुलाल के हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त समस्त तथ्यों द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखली का आदेश जारी किया गया जो विधि अनुरूप है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त भूमि राजकीय बिलानाम है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा नाजायज कब्जा / अतिक्रमण / निर्माण किया है, जिस पर बेदखली आदेश जारी किया गया जो विधि अनुरूप सही है इससे राजकीय हित प्रभावित होते है, अतः उक्त अपील निरस्त की जाए।

4— उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि मौजा अमरपुरा पटवार क्षेत्र अमरपुरा तहसील सराडा के रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2075—78 के अनुसार खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 172 रकबा 0.23 हेक्टेयर भूमि राजस्थान सरकार(बिलानाम गैर काबिल—काश्त) किस्म मगरी दर्ज है जो राजस्थान सरकार की भूमि है जिसमे से रकबा 0.20 हेक्टेयर पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा/अतिक्रमण है। अतिक्रमित भुमि बिलानाम गैर काबिल —काश्त सरकार होकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

अतः न्यायालय का मत है कि जमाबन्दी संवत 2075—78 के अनुसार खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 172 रकबा 0.23 हेक्टेयर भुमि राजस्थान सरकार (बिलानाम गैर काबिल—काश्त) है जिसमें से रकबा 0.20 हेक्टेयर पर अतिक्रमियों का नाजायज कब्जा/अतिक्रमण हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि में प्रदत्त प्रावधानानुसार दिया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

निर्णय की प्रति मय मूल पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर